न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 75/2021 GCMS NO 2021/330
दायरा तिथि : 21.12.2021
आदेश तिथि : 29-3-2022

प्रार्थी :–
श्री पुरणलाल पुत्र अलराकजी जाति मेहतर
निवासी मोरीबेडा स्टेशन तहसील बाली जिला पाली (राज0)

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 29-3-2022

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षैत्र) तहसील बाली के खसरा नंबर 246/773 रकबा 0.17 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षैत्र) तहसील बाली के खसरा नंबर 246 रकबा 0.83 हैक्टर व खसरा नंबर 246/696 रकबा 0.4600 हैक्टर किस्म गै.मु. पत्थर व बारानी सोयम मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2022/197 दिनांक 27.01.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम दूदनी(बाहरी क्षैत्र) के खसरा नंबर 246/773 रकबा 0.17 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि प्रार्थी श्री पूरनलाल पुत्र अलराक जाति मेहतर निवासी बेरी बेडा के नाम से दर्ज हैं। खातेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं हैं।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	246	0.83 हैक्टर	चा.प्र.,जा.अ.	80x 7=560वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक
2.	246/696	0.46 हैक्टर	बारानी सोयम	80x 7=560वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम दूदनी की डी.एल.सी. दर 134820/– रूपये प्रति हैक्टर है।

4 .प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं। एवं न ही अन्य कोई भी क्षति होगी।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से न्यायालय आदेश की अनुपालना में रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री हेमन्त बोहरा ने तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिलाये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ज्ञात हैं कि आवेदक प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षैत्र) तहसील बाली के खसरा नंबर 246/773 रकबा 0.17 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में आवागमन के लिये वर्तमान में रेकर्डेड कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, जिस तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार, बाली ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है। जिससे प्रार्थी की रास्ते बाबत् मांग न्यायोचित है।

पेज लगातार..........02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 75/2021 GCMS NO 2021/330

अनवान पुरणलाल बनाम तहसीलदार, बाली

अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3 (2) Rev.6 / 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकः प.3 (52) राज–6/ 12 /4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम दूदनी (बाहरी क्षैत्र) तहसील बाली के खसरा नंबर 246/773 रकबा 0.17 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि में आवागमन के लिये **राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षैत्र) के खसरा नंबर 246 व खसरा नंबर 246/696 किस्म चाही प्रथम व जाव अव्वल एवं बारानी सोयम की भूमि मेंसे कुल 1120 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2022/197 दिनांक 27.01.2022 के संलग्न नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे।
प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकवा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 134820/– रूपये प्रति हैक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
246	0.83 हैक्टर	80X7=560वर्गमीटर	13.482	**7550X2= 15100**	राजकीय सिवाय चक
246/696	0.46 हैक्टर	80X7=560वर्गमीटर	13.482	**7550X2= 15100**	राजकीय सिवाय चक

तहसीलदार, बाली देय कुल प्रतिकर राशि 30200/–रूपये **अक्षरे तीस हजार दो सौ रूपये मात्र** राजकोष में जमा की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली व सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री [illegible])
आई.ए.एस. (राज.)
उपखण्ड अधिकारी, बाली

कार्यालय उप - खण्ड अधिकारी बाली जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner